MAGISTRATH FIRST CLASS 

of 2017 2 Case No.

> Order of Proceeding

Orden Proceeding With Signature of Presiding Officer

pleaders wher Necessary Parties of Signature

> दण्डनीय अस्मियोग अपराध ,सहायक उपिनिरीक्षक विसन्द अधीन 万里 आर 18 / आरक्षक. अधिनियमके 10 10 H अभियुक्त / अभियुक्तगण \$ मा प्रमारी डिप Sh. आरक्षी केन्द्र दिशवकारि विष्ट आरक्षक प्रस्तुत किया गया। द्वारा ए० डी०पी०ओ० थाना अतगित 江 **EINI** संबंध उपनिरीक्षक / प्रधान Kh आस पत्र/परिवाद सन्य भावद्वस्व/ अपराध 00 00

340

अभियुक्त /अभियुक्तराण जात्र ५/ पहल्बान

44613 वहीत उम् - 19 Ela

प्रस्तुत अधिवस्ता 79 /वकालतनामा 一大 र्जिय अर् मिर्रेण्डम निवासी / निवासीगण भि याना भाजवारी अभियुक्त / अभियुक्तनाण द्वारा उपरिथत।

............ किया । अभियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

धारा उपरोक्तानुसार किये जाने के दुष्टया अभियोग जाता विकद्ध प्रथम कियां गया। अधीन कार्यवाही अवलोकन से जाने का आदेश / अभियुक्तगण किया विचार विसम्ब | अभियुक्त / अभियुक्तगण के अधिनियम के अधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / 190-(1) द०प्र०स० के अधीन संज्ञान लिये ज पर में संज्ञान के विषय पर् म न प्रस्तुत दस्तावेज सनगण के के हि Kb प्रकरण में / परिवाद

17 4 of S. .... S. आगराधिक प्रकरण का पजीयन किया जावे

अभियुक्त / अभियुक्तगण द0प्र0स0 के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं दस्तावेजो

की पतनीय प्रति नि:शुल्क दिलायी

अधीन प्रावधानो

207 南

धारा

45

मुक्त है। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण को अभिरक्षा HUHUH HIN अभियुक्ता हजार रुपये) की और से 7000 / (स्मानती प्रकृति का का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत किया जाये किया जाये।

ICING OHCE,

प्रार्भ निक्य वितारण 46 रमध्यत

उसके अभि युक्त अपराध समव केर अभियुक्त द्या विरिचित बाक मामला सिक्षित विवारमोथ है। अत सिक्ष किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तमण शारा 3 ५९। में भाठद०स०/ अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विर को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने ए अतः अभिवाक् स्वेच्छया स्वीकार किया। शब्दों में लेखबद्ध किया गया। करना

स्मिपय रिकित व्यतिकम गया साधारण न्यायालय अपराध किया 下 सदाय में 10 ES SE प्रथक धोषित करते दिवस स्वेच्छवा अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छर त्रोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय र हस्ताक्षरित, दिनांकित, मुद्रांकित कर ह क्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध व निगय अर्थदण्ड से दिगडत किया गया। अर्थदण्ड तक की अवधि के दण्ड एवं 5+ अभियुक्त / अभियुक्तगण कि को ध्यान में रख को कारावास भुगताया जावे। अभियुक्त अभियुक्त को उक्त दशा में खीकारोक्ति अवसान कराकर

40 प्तिती क्र प्रदान निर्णय की निःशुल्क प्रति अगियुक्त

नाय -

राजसात किया स्वामी न्यायालय नक् निरस्त उसके K स्थिय 10 वाहन सुपुद्गीनामा अपीलीय मुल्यहीन 江 किये जाये। संपत्ति ॥ पान देशी देशे मूल्य व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्व जाता है तथा अपील की दशा में माननीय 3 दशा आदेशों का पालन हो।

विहित उपरात कर प्रतिपृति पंजीबद्ध आवश्यक 本 प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी हेत् अभिनेखागार प्रेषित किया जाये। सन्यन अभिलेख

SI SI Gohad Dist. Bhind ial magistente 一番 Jydine

प्नश्य:

पावती अर्थदण्ड जिसकी 七 का तया भुगताई 000 अभियुक्त अभियुक्तण रमित 500° 500° 500° निर्णयानुसार (D)

बुक

राष्ट्रा

कु

संवित निदेश अनुसार प्रकरण उपरोक्त

अभियुक्त / अभियुक्त गण

Con String